

कार्यालय अग्निशमन नगर परिषद धौलपुर

क्रमांक - अग्नि - 11006



दिनांक - 24/3/23

अनापत्ति प्रमाण - पत्र

प्रबंधक सेन्ट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल स्थित आशियाना कॉलोनी धौलपुर जरिये एस. के. एजुकेशनल टेक्निकल एण्ड सोशल डवलपमेन्ट संस्था धौलपुर द्वारा प्रेषित पार्थना पत्र के अनुसार निम्न लिखित शर्तों के साथ एक वर्षीय अस्थायी अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

1. विद्यालय भवन की छत के ऊपर स्थित टैंक में 30 हजार लीटर पानी का स्टॉक हमेशा रखना होगा।
2. विद्यालय भवन के रूफ वाटर टैंक से कनेक्ट पानी छिड़काव (प्रेसर) हेतु ट्रेक पंप 450 एलपीएम जॉकी पंप 180 एलपीएम इलेक्ट्रिक पंप से हॉजरील कनेक्ट कर फ्लोर वाइस फिटिंग करानी होगी।
3. विद्यालय भवन प्राथमिक अग्निशमन उपकरण एस्टगिवुसर आईएस 2190 के अनुसार प्रावधित किये जाये।
4. एस्टगिवुसरो को एक्सपायरिंग दिनांक से पहले पुनः रिफिलिंग अवश्य करायेगे।
5. भवन में फायर अलार्म सिस्टम आवश्यक रूप से लगाना होगा।
6. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा फायर सेफ्टी नियमों की पालना सुनिश्चित रूप से करनी होगी।
7. प्रत्येक वर्ष अग्निशमन यंत्रों की जाँच फायर अधिकारी से करानी होगी एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण कराएँगे। नवीनीकरण नहीं कराने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जावेगा व नियमनुसार शारती वेय होगी।
8. भवन के अन्दर जगह जगह पर निशान (चिन्ह) लगाने होंगे।
9. भवन के अंदर ओवर हेड इलेक्ट्रिक लाइन नहीं होनी चाहिए।
10. भवन के अन्दर फायर बकेट स्टैंड में पांच बकेट रेत से भरी हुई हमेशा लगाये रखना ज़रूरी होगा।
11. भवन के गेट के पास वाटर हाईडेन्ट स्थापित रखना होगा। जिसका कनेक्शन प्रेसर होजरील से होगा।
12. फायर संसाधनों को सुचारु रूप से चलने एवं रख रखाव हेतु फायर प्रशिक्षित कार्मिक तैनात रखना होगा।
13. भवन का नक्शे का फ्लोरोसेंट अक्षरों में साइन बोर्ड स्थापित कराना होगा।
14. भवन में इलेक्ट्रिक पैनल के पास एवं जनरेट रूम के पास को Co2 एस्टगिवुसर आईएसआई क्षमता ९ केजी आवश्यक रूप से फिर कराने होंगे।
15. भवन में नया निर्माण स्वीकृत उपरान्त ही करवाया जावेगा जिसका अग्निशमन अधिकारी से निरक्षण उपरान्त नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार फायर उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी।
16. भवन के स्टोर में मनीला रोप 1 इंच मोटा 100 फ़ीट लम्बा एवं सर्च लाइट एवं लैडर की व्यवस्था हमेशा तैयार रखनी होगी।
17. भवन में फायर संसोधन के आभाव / खराबी के कारण कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रबन्धक / मालिक की होगी।

उपरोक्तनुसार प्रबंधक सेन्ट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल स्थित आशियाना कॉलोनी पुराना शहर धौलपुर के भवन हेतु एक वर्षीय अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र एक शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन में अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रावधान भवन नियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया २०१६ में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराए जायेंगे तथा उपरोक्त शर्तों को जारी करने की दिनांक से छः माह में पूर्ण कर लिया जावेगा। अन्यथा यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

वृषभान सिंह गुर्जर
सहायक अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद धौलपुर (राज.)
नगर परिषद धौलपुर